ANNEXURE NO.-2

AGREEMENT BOND FOR CA	ANDIDATES ADMITTED TO MBBS COU	JRSE 2024-2025 SESSIC	ON THIS DEED OF h	AGREEMENT	
BOND IS EXECUTED AT	ON THIS DAY OF	BETWEEN			
NAME	S/O, D/O, W/O		RESIDIN	1G	
AT(PERMENENT ADDRESS)			. (TEMPORARY AD	DRESS	
		MOBILE NO.		E-	
MAIL ID	AADHAR NO				
Hereinafter referred to as (("FIRST PARTY") of the one part AND				
Governor of Uttar Pradesh	(here in after referred to as "Govern	ment") of the second	part.		
WHEAREAS FIRST PARTY ha	as applied for admission to MBBS cou	irse and FIRST PARTY h	nas been selected	to the said cours	se. As
per the Prospectus, the FIR	RST PARTY has agreed to serve the G	overnment for a perio	d not less the two	year after succe	essful
completion of the MBBS co	ourse. If the FIRST PARTY fails to ser	ve the government fo	r a period of two	year the FIRST P	ARTY
shall forthwith pay a sum of	of Rs. 10 Lacs to Government at the	specified Government	Treasury. During	the above Perio	d the
FIRST PARTY shall be paid S	Stipend and the Government will req	uest their services with	nin a period the th	ree months fron	n the
date of successful complet	ion of the MBBS course. In case the	Government does not	provide services	in mentioned pe	eriod,
the BOND shall be released	d : AAND WHEREAS the FIRST PARTY	' has also agreed that	on successful con	npletion of the N	ИBBS
course, his/her certificates	relating to MBBS course will not be	given to the FIRST PAF	RTY unless the FIRS	ST PARTY succes	sfully
Serves the Government for	r a period of two year or pay to the	Government on dema	nd the sum of Rs.	10 Lacs (Rupees	s Ten
Lacs) only.					
If the FIRST PARTY fails to o	deposit the aforesaid amount in spec	ified period, FIRST PAF	RTY shall be liable	to pay interest a	at the
rales specified by the Gove	rnment as per applicable law during	the period of delay: A	ND WHEREAS the	Government hav	ve, at
the request of the FIRST PA	.RTY(Nam	e) employed as	grant	ed slipend to hin	n/her
for a period of 24 months e	effect from completion of Internship	in order to enable his/	her to study at AS	MC, Kanpur deh	at .
AND WHERE AS if the FIRS	T PARTY	(Name) work for a	a period of less th	an 24 months d	uring
the MBBS course, th	ne proportionate amount will	be treated as	stipend and	the FIRST P	ARTY
	(Name) shall pay back in ac	ddition to the security	amount of Rs	(As per calcula	ation)
the ba	alance amount of stipend to the Gov	ernment. This bond s	hall in all respects	s be governed b	y the
laws of India, for the time	being in force, and the rights and lia	bilities shall, where ne	ecessary, be accor	dingly determine	ed by
the appropriate courts in Ir	ndia.				
NOW THIS DEEP OF AGREE	MENT BOND WITNESSES AS FOLLWO)S:-			

- 1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the MBBS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum or Rs. 10 lacs (Rupees Ten Lacs only) to the Government in the specified Government Treasury.
- 2. The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the two year service to the Government or till the payment of Rs. 10 lacs (Rupees Ten Lacs only) is paid the certificates relating to MBBS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
- 3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/Discharged.
- 4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where nevessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
- 5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, First PARTY shall be delay, filing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
- 6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this DEED have signed this BOND on the date first above mentione

For and behalf of	For and behalf of		
FIRST PARTY	Governor		
Witnesses:-			

छात्र/छात्रा द्वारा वचनबद्धता

श्रीम	नान प्रधानाचार्य / अध्यक्ष—प्रवेश समिनि	ते,						
ए0ए	रस०एम०सी० कानपुर देहात।							
शपः	थपत्र मिनजानिब मैं	पुत्र / पुत्री श्री	पुत्र / पुत्री श्री					
				सशपथ निम्न बयान				
कर	ता / करती हूँ:–							
1.	यह कि शपथी ने वर्ष	में इण्टरमीडियट एवं वर्ष	(अन्य)	की परीक्षा उर्त्तीण किया था				
	तथा उसके बाद से अब तक प्रा	तेयोगिता परीक्षा की तैयारी करता रहा/करती र	रही है। मैं एतद्द्वारा पुष्टि	करता / करती हूँ कि इस चिकित्सा				
	महाविद्यालय में प्रवेश के अलावा किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय(सरकारी/अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान) में कहीं भी किसी							
	भी पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त कर	प्रवेश नही लिया था / प्रवेशित नही हूँ तथा किसी	भी संस्थान द्वारा प्रवेश से	निष्कासित या वंचित नही किया गया				
	है ।							
2.	यह कि शपथी का प्रवेश अनन्ति	ाम(Provisional) होगा, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत र	समस्त प्रमाण पत्र/अभिले	ख सत्य है व प्रवेश सम्बन्धी प्रस्तुत				
	सूचना / अभिलेख / प्रमाण पत्र आ	दे की जाँच कराये जाने पर गलत पाया जाता है	या किसी भी प्रकार की व	oमी / कूटचरित पाया जात है तो मेरा				
	प्रवेश्ज्ञ निरस्त कर दिया जायेगा वि	जेसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं	गलत शपथ पत्र देने के ति	गए मेरे विरूद्ध उच्च अधिकारियों द्वारा				
	लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा	तथा मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आई०पी०र	सी0) की संगत धाराओं के	अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार				
	होगा ।							
3.	यह कि शपथी इस चिकित्सा मह	विद्यालय में अध्ययन के दौरान कॉलेज / छात्रावास	n / कालेज परिसर के बाहर	r, कहीं भी / किसी भी आवांछनीय या				
	असामाजिक / अपराधिक गतिविधियों, लड़ाई–झगडा / अनुशासनहीनता इत्यादि में सम्मिलित नहीं होऊगा। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं अनुशासन							
	बनाए रखूंगा और समय—समय पर कॉलेज द्वारा लागू अधिनियम अध्यादेशों, विनियम और अन्य निर्देशों के प्रावधानों का पालन करूगा। इस वचन							
	के उल्लंघन के मामले में, और यदि भविष्य में किसी भी <u>घटना / प्रकरण</u> में संलिप्त पाया जाता है या नाम प्रकाश में आता तो कॉलेज प्रशासन / सम्बन्धित							
	अधीक्षक / सम्बन्धित विभागाध्याक्षों द्वारा मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक / दण्डात्मक / निष्कासन या अन्यथा की कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा							
	जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मुझे मान्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।							
4.	यह कि मै रैगिंग पर राक लगाने	वाले कानून और इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय	प और केन्द्र / राज्य सरका	र के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढा और				
	समझा है। मै रैगिंग में भाग नहीं लूंगा, बढावा नहीं दूंगा या दसका प्रचार नहीं करूंगा और न ही किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट/अन्य							
	हानि पहुचाऊगा। मै उल्लिखित प्रावधानों या लागू कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।							
5.	मै एतद्द्वारा प्रतिज्ञा करता हूँ। कि	विना अनुमति के दो पहिया/चार पहिया वाहन न	नही रखूंगा।					
	कानपुर देहातः							
	दिनांक:	सत्यापन	शपथी.					
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			\\				
		्रिकि मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा इस शप						
	सत्य व सही हैं। कुछ छिपाया नह	ही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। तस्दीक आज वि	देनाक	कानपुर देहात में की गई है।				
				۵-				
			शप	થા				

श्री	मान प्रधानाचार्य / अध्यक्ष—प्रवेश समिति,			
ए0	एस०एम०सी० कानपुर देहात।			
शप	थिपत्र मिनजानिब मैंपुत्र/पुत्री श्री			
निव	गरी			
	सशपथ निम्न बयान करता / करती हूँ:			
1.	यह कि शपथी उपरोक्त पते का निवासी है तथा शपथपत्र के समस्त तथ्यों से पूर्णतया वाकिफ है।			
2.	यह कि शपथी ने वर्ष			
	. की परीक्षा उर्त्तीण किया था तथा उसके बाद से अव तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता रहा / करती रही है।			
3.	यह कि शपथी इस चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश के अलावा किसी भी विद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय			
	(सरकारी / अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान) में कहीं भी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेशित / अध्ययनरत नही है तथा पूर्व में नीट			
	यू०जी० की प्रवेश परीक्षा से किसी भी पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश नही लिया था / प्रवेशित नही है।			
4.	यह कि शपथी का प्रवेश अनन्तिम(Provisional) होगा, तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त <u>प्रमाण/अभिलेख</u> सत्य है व प्रवेश			
	सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना / अभिलेख / प्रमाण पत्र आदि की जाँच कराये जाने पर गलत पाया जाता है या किसी भी प्रकार की			
	कमी / कूटचरित पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी एवं			
	गलत शपथ पत्र देने के लिए मेरे विरूद्ध उच्च अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा तथा मेरे विरूद्ध भारतीय			
	दण्ड संहिता(आई०पी०सी०) की संगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार होगा।			
5.	यह कि शपथी इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान कॉलेज/छात्रावास/कॉलेज परिसर के बाहर, कहीं			
	भी / किसी भी अपराधिक गतिविधियों, लड़ाई—झगड़ा / अनुशासनहीनता इत्यादि में सम्मिलित नही रहेगा। यदि भविष्य में			
	किसी भी <u>घटना / प्रकरण</u> में संलिप्त पाया जाता है या नाम प्रकाश में आता तो कॉलेज प्रशासन / सम्बन्धित अधीक्षक / सम्बन्धित			
	विभागाध्यक्षों द्वारा मेरे विरूद्ध अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी कार्यवाही की			
	जायेगी वह मुझे मान्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।			
वा	नपुर देहातः			
वि	रनांकः सत्यापन शपथी			
	मै, बाहलफ तरदीक करता हूँ कि मै उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा इस शपथ–पत्र की धारा–1से 5 के सभी कथन मेरे निजी ज्ञान में			
सब सत्य व सही है। कुछ छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें। तस्दीक आज दिनांकवांचा कानपुर देहात				
	है।			
	शपथी			